न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी (अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट) जैसलमेर

(पीठासीन अधिकारी श्री भागीरथ विश्नोई आर 0ए0एस)

मु0 संख्या :– 11/2017

प्रार्थी		अप्रार्थी
श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता खादयसुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर	बनाम	1. श्री मग्गापुरी स्वामी पुत्र मोतीपुरी स्वामी उम्र 52 वर्ष मूल निवासी दर्जी पाडा, नाईयों का चौक, गोडा पाडा, जैसलमेर जिला जैसलमेर(राज) एफ.बी.ओ. मालिक मैसर्स रामदेव आइसकीम एण्ड आईस फेक्ट्री, दरीया नाथ की बावडी, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स रामदेव आइसकीम एण्ड आईस फेक्ट्री, दरीया नाथ की बावडी, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.)

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा (।।) खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011)

उपस्थित :–

1. श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता, खादय सुरक्षा अधिकारी, जैसलमेर।
2. अप्रार्थी संख्या 1व 2 एवं उनके अधिवक्ता प्रताप पुरी।

–:: निर्णय ::– दिनांकः 28.05.2019

1. प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 उपधारा (।।) के तहत् अप्रार्थीगण के विरूद्व न्याय निर्णयन हेतु प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। यह है की प्रार्थी द्वारा दिनांक 13.05.2016 को 03:00 पीएम पर मैसर्स रामदेव आइसकीम एण्ड आईस फेक्ट्री, दरीया नाथ की बावडी, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अप्रार्थी मैसर्स रामदेव आइसकीम एण्ड आईस फेक्ट्री, दरीया नाथ की बावडी, जैसलमेर जिला जैसलमेर दुकान/संस्थान पर विकेता श्री मग्गापुरी स्वामी पुत्र मोतीपुरी स्वामी कारोबार कर रहा था, उसने दुकान का विकेता होना बताया। उसको अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उसका अपना अनुज्ञापत्र दिखाने को कहा तो उसने खादय अनुज्ञापत्र मौके पर उपलब्ध नही होना बताया। जो उसने अगले कार्यदिवस में कार्यालय में आकर उपलब्ध करवाया। जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अप्रार्थी मौके पर निरीक्षण के समय दुकान में मारवाडी आइसकीम बेच रहा था। मिलावट का संदेह होने पर नमूने लेने वास्ते विकेता एवं मालिक को कहा एवं मौके पर फार्म संख्या 5ए की प्रति तैयार कर गवाहन व स्वयं के हस्ताक्षर करवाकर फार्म संख्या ए5 की एक प्रति मौके पर मालिक विकेता

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

को दी और प्राप्ति रसीद ली जो प्रार्थना पत्र में संलग्न है। तत्पश्चात 1200 ग्राम मारवाडी आइसकीम नमूने वास्ते तोल कर दिया जिसके पेटे 240 रूपये नगद देकर गवाहन, विकेता एवं स्वयं के हस्ताक्षर कर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है। प्रार्थी ने खरीद सुदा एक किलो खादय पदार्थ मारवाडी आइसकीम को 300 ग्राम प्रति नमूना के हिसाब से कांच की चार साफ खाली पारदर्शी चौडे मुहॅ की बोतलो में अलग-अलग भरकर परिरक्षक बतौर फार्मालिन की 36-36 बुंदे प्रति नमूना मिलाई एवं चारों नमूरा बोतलों को ऐयर टाईट ढक्कन से बंद कर चारो नमूनो बोतलों पर मौके पर लेबल तैयार कर प्रत्येक नमूना बोतलों पर चिपकाए एवं लेबलो पर डीओ कोड एवं कमांक नम्बर एन-563 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विकेता तथा गवाहन के हस्ताक्षर करवाये और पैक्ट को अलग-अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डीओ, जैसलमेर की हस्ताक्षर सुदा पेपर स्लीप एन-563 नियमानुसार चारो नमूनों पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को पेपर स्लीप ऊपर धागे से बाधकर नियमानुसार चार-चार जगह ब्रास सील से मुहर चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता एवं गवाहन के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं ने खाद पदार्थ का विवरण एन-563 मारवाडी आइसकीम लिख कर हस्ताक्षर किये। चारो नमूनो भागो को अपने जाब्ते में लिया एवं मौके पर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहों को मौके पर पढाकर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जो उन्होने पढकर सुनकर समझकर सही मान कर हस्ताक्षर किये प्रार्थी स्वयं ने मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये। प्रार्थी ने कार्यालय पहुचकर फार्म नम्बर 6 की आठ प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील इम्प्रेशन लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की आउटर कवर में सील बन्द कर सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को स्वयं श्री लक्ष्मीकान्त गुप्ता द्वारा जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपडी से सील मुहर कर खाद्य विश्लेषक जोधपुर को जमा कराकर फार्म संख्या 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 की दो प्रतियां के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डी.ओ.मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर को मेरे द्वारा दिनांक 16.05.2016 को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी को डीओ एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/13595-96 दिनांक 16.06.2016 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट

Scanned by CamScanner

मानक प्रयोगशाला राज.जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या L.S./554/Act/2016/586 दिनांक 09.06.2016 अनुसार उक्त नमूना अमानक (सबस्टेडर्ड) पाया गया। खादय विश्लेषक, जोधपुर की जॉच रिपोर्ट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। प्रार्थी ने पत्रावली,कागजात पेश करने के बाद श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जैसलमेर ने पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2016/स्वी./एन-563/694 दिनांक 12.01.2017 के द्वारा आवेदक खादय सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस में न्यायनिर्णयन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया। यह है कि उक्त केस में विकेता 1. श्री मग्गापुरी स्वामी पुत्र मोतीपुरी स्वामी उम्र 52 वर्ष मूल निवासी वर्जी पाडा, नाईयों का चौक, गोडा पाडा, जैसलमेर जिला जैसलमेर(राज) एफ.बी.ओ. मालिक मैसर्स रामदेव आइसक्रीम एण्ड आईस फेक्ट्री, दरीया नाथ की बावडी, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) 2. मैसर्स रामदेव आइसक्रीम एण्ड आईस फेक्ट्री, दरीया नाथ की बावडी, जैसलमेर जिला जैसलमेर (राज.) ने अमानक (सबस्टेण्डर्ड) मारवाडी आइसक्रीम का विक्रय करके खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (11) का उल्लघंन किया है। जिसका जुर्माना खादय सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 में निर्धारित है। प्रार्थी ने निवेदन किया कि अप्रार्थीगण को अधिक से अधिक जुर्माना से दण्डित करने की कृपा करें जिससे दिन प्रतिदिन दैनिक जीवन में हो रही मिलावट पर अंकुश लग सकें।

2. अप्रार्थी संख्या 01 व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रताप पुरी परिवाद के संबंध में जबाब में कथन किया गया है कि परिवाद में प्रार्थि द्वारा जो नमूना लिया गया था मारवाडी आइसक्रीम का था जो कि एक proprietary food है। प्रार्थी द्वारा जांच के लिए उक्त नमूने की दिनांक 13.05.2016 drpartment of medical & health services, rajasthan को फॉर्म नं. 5ए मय उक्त नमूना जॉच हेतु भेजा गया था। उक्त नमुने को विभाग द्वारा public health laboratory, jodhpur rajasthan को जॉच हेतु प्रस्तुत किया जिसको प्रयोगशाला ने जॉच कर सबस्टेण्डर्ड बताया, जबकि उक्त मारवाडी आइसक्रीम एक proprietary food है। proprietary food ऐसा खादय पदार्थ होता है जिसका इस एक्ट में कोई स्टेण्डड नही होता है। अतः उक्त नमूना सबस्टेण्डर्ड नही होना बताया गया है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र मे बताया गया है कि उक्त नमूना एक खादय पदार्थ है, जिसकी जॉच रिपोर्ट एक खादय प्रयोगशाला द्वारा ही दी जा सकती है तो ही वह विधि मान्य रिपोर्ट मानी जायगी। परन्तु उक्त रिपोर्ट public health laboratory, jodhpur rajasthan द्वारा दी गई है, जो कि एक खादय प्रयोगशाला नही है जिसको यह

न्याय निर्णय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
जैसलमेर

Scanned by CamScanner

रिपोर्ट देने की अधिकारिता प्राप्त नही होना बताया गया है। अतः उक्त रिपोर्ट विधि मान्य रिपोर्ट नही है ओर ना ही इससे यह साबित होता है अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही को निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

प्रार्थी व अप्रार्थी की बहस सुनी गई। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं अप्रार्थी संख्या 01व 02 की ओर से अधिवक्ता श्री प्रताप पुरी द्वारा प्रस्तुत जबाब व प्रस्तुत दस्तावेजात एवं बहस के तथ्यों का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। विवेचन पश्चात इस निष्कर्स पर पहुंचा हूँ कि खादय सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, जोधपुर से प्राप्त जांच रिपोर्ट सं. L.S./554/Acl/2016/586 दिनांक 03.06.2016 के अनुसार मारवाडी आइसक्रीम का उक्त नमूना अमानक (सबस्टेण्डर्ड) पाया गया हैं। वही अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाब संतोषप्रद प्रतित नही होता है तथा अप्रार्थी अपने जबाब के समर्थन मे कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही कर पा रहा है। जिससे अप्रार्थी पर अमानक (सबस्टेण्डर्ड) स्तर के मारवाडी आइसक्रीम का विक्रय करने के लिए दोष साबित है। अप्रार्थी द्वारा खाद्यय सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवम् मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है । अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है एवं अप्रार्थी श्री मग्गापुरी स्वामी जो मैसर्स रामदेव आइसक्रीम एण्ड आईस फेक्ट्री, दरीया नाथ की बावडी, जैसलमेर जिला जैसलमेर फर्म के प्रापराईटर द्वारा अवमानक (सबस्टेण्डर्ड) स्तर की खाद्य वस्तु मारवाडी आइस्क्रीम विक्रय के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी संख्या 01 पर 1,50,000/- अक्षरे एक लाख पचास हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि अप्रार्थी से वसूल कर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04-लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपी अप्रार्थी संख्या 01 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(भागीरथ विश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

निर्णय आज दिनांक 28.05.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ विश्नोई)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,जैसलमेर

Scanned by CamScanner